कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3/2024/2589 लखनऊः दिनांक 09 नवम्बर 2024

नीट पी0जी0 2020 (सप्लीमेन्ट्री बैच) तथा नीट पी0जी0 2021 डिप्लोमा बैच के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को सेवायोजित किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 तथा शासनादेश संख्या–।/342805/2023 दिनांक 04 जुलाई 2023 में निहित निर्देशों के क्रम में नीट पी0जी0 2020 (सप्लीमेन्ट्री बैच) तथा नीट पी0जी0 2021 डिप्लोमा बैच के अभ्यर्थियों को उनकी ऑल इण्डिया नीट रैंक के आधार पर ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से सेवायोजित किये जाने हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश निम्नलिखित हैंः–

- काउंसिलिंग हेतु समय–सारिणी वेबसाईट www.dgme.up.gov.in पर प्रदर्शित की जायेगी।
- चिकित्सा अनुभाग–8 के शासनादेश संख्या–3110/पांच–8–2020–जी(137)/ 2018 दिनांक 09.12.2020 के प्रस्तर–3 में निहित निर्देशों के क्रम में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों (वेटेज/नॉन वेटेज) को सीनियर रेजीडेण्टशिप अनुमन्य नहीं होगी।
- सीटों का आवंटन रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थी की ऑल इंडिया रैंक, श्रेणी, विकल्प के आधार ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- काउंसिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट www.dgme.up.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त सूची में अंकित किसी अभ्यर्थी की ऑल इण्डिया रैंक/अनुक्रमांक में यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, तो अभ्यर्थी दिनांक 11 नवम्बर 2024 तक ई–मेल dgmesec3@gmail.com पर सुसंगत साक्ष्यों सहित सूचित करेंगे।
- ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को वेबसाईट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर log-in करते हुए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। भारत सरकार हेतु निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 01.4.2024 अथवा उसके बाद का ही मान्य होगा।
- शासनादेश संख्या–85/2019/2625/71–1–2019–जी– 71/2011टी0सी0 दिनांक 16 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत जूनियर एवं सीनियर रेजीडेण्ट चिकित्सकों के वेतनमान में अभिवृद्वि/संशोधन करते हुए जूनियर रेजीडेण्ट को ग्रेड वेतन रू0 5400/– तथा सीनियर रेजीडेण्ट को ग्रेड वेतन रू0 6600/– तथा अन्य अनुमन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अनुमन्य किया गया हैं।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रदेश के राजकीय/स्वशासी मेडिकल कालेजों/संस्थानों में कार्यरत जूनियर रेजीडेण्ट/सीनियर रेजीडेण्ट की वार्षिक आय रू0 8.00 लाख से अधिक होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (E.W.S.) से संबंधित शासनादेश द्वारा निर्धारित अर्हता की परिधि में नहीं आते हैं। अतः उक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सीनियर रेजीडेण्ट के रिक्त पदों की ई0डब्लू0एस0 श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया गया है तथा उक्त काउंसिलिंग हेतु किसी भी अभ्यर्थी को ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य है।
- आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन सत्यापन के समय यदि सुसंगत नहीं पाया गया अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया

जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

- ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की च्वाईस फिलिंग निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात Auto Lock कर दी जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में फेलोशिप/पी0डी0सी0सी0 अथवा अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों में इस कार्यालय से अनापत्ति प्राप्त कर, अध्ययनरत हैं, इस काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक/कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरूद्व भारतीय न्याय संहिता (बी0एन0एस0) की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- उक्त आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवंटित सीट पर योगदान देना अनिवार्य होगा।
- नीट पी0जी0 2024 के नीति निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या–।/687326/2024 दिनांक 09 जुलाई 2024 तथा शासनादेश संख्या–।/547828/2024 दिनांक 25 अप्रैल 2024 में निहित निर्देशानुसार आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगीः–

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	Conversion Category	Category converted to
1	ST	SC
2	SC	UR
3	OBC	UR

- Merger के लिए उपलब्ध सीटों को Virtual Vacancy के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।
- अद्यतन सूचनाओं हेतु विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक।